


न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्ड न्यायापीठ रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

II। वि०/3मरिया/ 2018/0165

36



कृपाली सिंह पिता श्री कनई सिंह निवासी ग्राम पटेहरा थाना व तहसील मानपुर,  
जिला-उमरिया (म.प्र.) -निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन जरिये अपर कलेक्टर महोदय, जिला-उमरिया (म0प्र0) -उत्तरार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता  
1959 राजस्व प्रकरण क्र0 06 /स्व0नि0/14-15  
आदेश पारित दिनांक 31.08.2017

अधि० श्री राजेश प्र. प्रेस  
द्वारा देखा 08-3-18

मान्यवर,

कलेक्टर अपर कोर्ट  
राजस्व मण्डल प्र० प्र०  
(मरिया) रीवा

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार अपील प्रस्तुत है-

1. यह कि निगरानीकर्ता कृपाली सिंह पिता श्री कनई सिंह उम्र 78 वर्ष निवासी ग्राम पटेहरा, थाना तहसील मानपुर, जिला-उमरिया (म0प्र0) की मूल निवासी है। तथा निगरानीकर्ता की चल व अचल सम्पत्ति ग्राम पटेहरा में स्थित है।
2. यह कि निगरानीकर्ता माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला-उमरिया (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/स्व.नि./14-15 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय पाने की प्रत्याशा से निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

### निगरानी के आधार

3. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 कानूनन एवं वाक्यातन दुरुस्त न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
4. यह कि माननीय अपर कलेक्टर महोदय उमरिया, जिला-उमरिया का राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/स्व.नि./14-15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2017 प्रवृत्त रहता है या बना रहता है तो न्याय की विफलता होगी तथा पक्षकार आवेदक/ निगरानीकर्ता के विरुद्ध पारित आदेश से अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई निगरानीकर्ता भविष्य में नहीं कर पायेगा।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
म-81  
कलेक्टर/रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

2

दो/निग./उमरिया/2018/0165

कृपालसिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 -08-18	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेश कुमार पटेल को ग्राहयता के तर्क पर सुना गया। दिनांक 9/8/18 को</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर उमरिया के प्र0क्र0 06/स्व.निग./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।</p> <p>3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि न्यायालय के मूल प्रकरण में वर्ष 1983-84 खसरे में कब्जा दर्ज होना नहीं पाया जाता है, जबकि अधिनियम में प्रावधान दिये गये थे कि विधि के अनुसार उद्घोषणा का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आवेदित भूमि जिस ग्राम की हो, आवेदनकर्ता उसी गांव का स्थायी निवासी हो तथा मुख्य रूप से विशेष उपबंध 02.10.1984 को आवेदनकर्ता का आवेदित भूमि पर कब्जा अतिक्रामक के तौर पर खसरा दर्ज वर्ष 1983-84 में प्रमाणित हो, किन्तु आवेदक 02.10.1984 को कब्जा प्रमाणित करने में असमर्थ रहा । इसी कारण अपर कलेक्टर ने आवेदक को मध्यप्रदेश ग्रामों के दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध 1984 के तहत जारी आलोच्य आदेश दिनांक</p>	

3/2

कृपालसिंह विरुद्ध म.प्र. शासन

02.01.1990 विधिनुसार पारित न होने से निरस्त किया है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती।

42

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आग्राहय की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो।

m

*hyari*  
(आर.के. जैन) 28/8/18  
सदस्य